संख्याः– 6664 / III(2)/11– 09(मु0मं0घो0)/2011

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 09 दिसम्बर, 2011

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2011 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में बैरागढ़ में हेंवल नदी पर 90मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु सहित पहुँच मार्ग निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग,पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 6052/12(130) मा0मुं0घो0–पर्व0/2011 दिनांक 14.10.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/211 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत बैरागढ़ में हेवल नदी में 90 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण की प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या–2658/III (2)/11–09(मु0मं0घो0)/2011 दिनांक 01 जुलाई,2011 द्वारा ₹ 6.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण की स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय होने तथा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौड़ी द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया द्वितीय चरण कार्य का विस्तृत आगणन लागत ₹ 388.29 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गई औचित्यपूर्ण लागत **₹ 387.08 लाख (₹ तीन करोड़ सत्तासी लाख आठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु **₹ 19.35 लाख(₹ उन्नीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

क्रमश 2/–

3– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

6– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

7– आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

8– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा ।

9– निर्माण कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा ।

11– आगणन में कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। अब पुनः नये आगणन प्रस्तुत किये जाने पर परिवर्तित आगणनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

12– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

14– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

15–स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

क्रमश 3/–

16– मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / **xlv**–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

17– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

18– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–667 /**xxvII(2)/2011** दिनांक 09 दिसम्बर,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्या– 6664 (1) / III(2) / 11–09(मु0मं0घो0) / 2011 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोर्टस बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / पौड़ी / कोटद्वार।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 12 वृत्त लो0नि0वि0, पौड़ी।
8– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।
9– वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1 / 3 उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।